

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

पत्रांक— एन0एम0एस0ए0को0-17/2015-715 / कृ0 पटना, दिनांक— 31/1/2016
प्रेषक,

प्रभु राम,

निदेशक (प्रशासन)—सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

द्वारा: वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :- केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का बिहार राज्य में 2015-16 में कुल 2338.00 लाख रुपये में से सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश 1164.324 लाख रुपये एवं राज्यांश 776.216 लाख रुपये कुल 1940.54 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जैविक खेती एवं उसके पी0जी0एस0 आधारित जैविक प्रमाणीकरण कार्य हेतु कुल अनुदान लागत 2338.00 लाख रु0 के अधीन सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश 1164.324 लाख रुपये एवं राज्यांश 776.216 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रदान की जाती है।

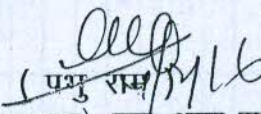
2. कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं रासायनिक कीटनाशियों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इनका प्रभाव फसलों के उत्पाद पर भी अवशिष्ट के रूप में रह जाता है जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही मृदा की उर्वरता एवं उत्पादन के टिकाऊपन में लगातार कमी हो रही है तथा उत्पादन लागत मूल्य अधिक होने के कारण किसानों को समूचित आर्थिक लाभ भी नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा जैविक खेती एवं उसके पी0जी0एस0 आधारित जैविक प्रमाणीकरण हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015-16 से की जा रही है। इस योजना में जैविक खेती में प्रयोग होने वाले अधिकांश उपादान कृषक अपने स्रोत से अपने प्रक्षेत्र पर ही तैयार कर सकेंगे, तथा इसके लिए सरकार द्वारा सहायतानुदान दिया जायेगा। इससे उनकी खेती की लागत में कमी आयोगी, उपादान हेतु बाजार पर निर्भरता घटेगी तथा आय में वृद्धि होगी। जैविक खेती से उत्पन्न होने वाले उत्पाद रासायन/कीटनाशी के हानिकारक अवशेष से मुक्त रहेंगे, जिसका उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पी0जी0एस0 आधारित जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण में उत्पादक-विपणनकर्ता-उपभोक्ता तीनों की सहभागिता होगी। इसमें उत्पादक समूह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 % राशि केन्द्रांश एवं 40 % राशि राज्यांश होगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 2338.00 लाख रुपये की कार्ययोजना की स्वीकृति दी गई है।

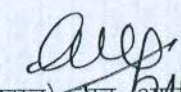
4. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजनान्तर्गत क्षेत्र चयन में वर्षाश्रित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है फलस्वरूप इस योजनान्तर्गत जलछाजन परियोजना के अंतर्गत चयनित जिले यथा गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास एवं कैमूर तथा एक अतिरिक्त जिला दरभंगा में कार्यान्वित की जाएगी।
5. योजना का कार्यान्वयन 50 एकड़ के कलस्टर में किया जायेगा। कलस्टर किसी एक गाँव अथवा अगल-बगल के गाँवों को मिलाकर चयन किया जा सकता है। कलस्टर के चयन में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी। कलस्टर का चयन वैसे क्षेत्रों में किया जाएगा जहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुलता हो।
6. कलस्टर में एक किसान को अधिकतम 1 एकड़ तक के लिए सहायता अनुदान देय होगा।
7. यह योजना एक ही कलस्टर में लगातार तीन वर्षों तक संचालित की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी समूहों का गठन किया जाएगा।
8. कलस्टर के चयनित कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष विभिन्न घटकों यथा जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण एवं समूह का गठन, जैविक प्रमाणीकरण एवं उत्पाद का गुण नियंत्रण, जैविक खेती हेतु एक्शन प्लान का निर्माण, मेड़ पर नेत्रजन स्थीरकरण हेतु पौध रोपन, समेकित जैविक उर्वरता प्रबंधन, उत्पादों के पैकेजिंग/लेवेलिंग ब्रॉडिंग तथा मार्केटिंग आदि कार्य हेतु भारत सरकार से निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप सहायता अनुदान दिया जाएगा।
9. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति (एस0एल0ई0सी0) योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (डी0एल0ई0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन, फसल आधारित कलस्टर में जिला कृषि पदाधिकारी तथा फल/सब्जी आधारित कलस्टर में सहायक निदेशक (उद्यान) द्वारा किया जाएगा।
10. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा, साथ ही योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यानुदेश तैयार किया जाएगा।
11. योजना के लिए जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।
12. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्ब्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।
13. केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त राशि के आलोक में कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी की जाएगी तथा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना कार्यान्वयन कराया जाएगा।
14. योजना अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि 1164.324 लाख रु० (ग्यारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस हजार चार सौ रु०) का व्यय "मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, माँग संख्या-01 उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, उप शीर्ष-0207 - राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड-पी० 2401001050207, विषय शीर्ष-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि 1914.20 लाख रु० (उनीस करोड़ चौदह लाख बीस हजार रु०) से विकलनीय होगा। राज्यांश की राशि 776.216 लाख रु० (सात करोड़ छिहत्तर लाख इकीस हजार छः सौ रु०) का व्यय "मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, माँग संख्या-01 उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक, उप शीर्ष-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड-पी० 2401001050307 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि 5385.25 लाख रु० (तिरपन करोड़ पच्चासी लाख पच्चीस हजार रु०) से विकलनीय होगा।
15. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के

- कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति सचिका संख्या- एन0एम0एस0ए0को0-17/2015 के पृ0सं0- 15/टि0 पर प्राप्त है।
16. मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.09.2015 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।
17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या एन0एम0एस0ए0को0-17/2015 के पृ0सं0- 36/टि. पर दिनांक- 02.02.16 को प्राप्त है।

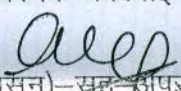
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प. राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

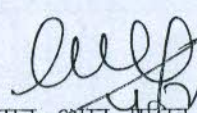
ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-17/2015.....715/ कृ0, पटना, दिनांक- 9/2/2016
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

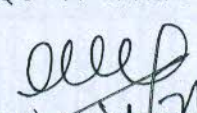
ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-17/2015.....715/ कृ0, पटना, दिनांक- 9/2/2016
प्रतिलिपि:- सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-17/2015.....715/ कृ0, पटना, दिनांक- 9/2/2016
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, कैमूर एवं दरभंगा/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प), गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा/जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (उद्यान) गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, कैमूर एवं दरभंगा/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक - एन.एम.एस.ए.को.-17/2015.....715/ कृ0, पटना, दिनांक- 9/2/2016
प्रतिलिपि- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

[illegible][illegible]

अनुसूची - 02 परम्परागत कृषि विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2015-16			
क0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	
		भौतिक कलस्टर	वित्तीय लाख रू0
1	पटना	65	459.3810
2	नालन्दा	102	720.8748
3	रोहतास	20	141.3480
4	कैमूर	5	35.3370
5	गया	25	176.6850
6	नवादा	19	134.2806
7	औरंगाबाद	10	70.6740
8	जहानाबाद	10	70.6740
9	अरवल	5	35.3370
10	मुगेर	9	63.6066
11	बांका	5	35.3370
12	जमुई	30	212.0220
13	लखीसराय	5	35.3370
14	शेखपुरा	7	49.4718
15	दरभंगा	10	70.6740
16	आकस्मिकता		26.9602
	कुल	327	2338.0000

